

संख्या-क0स0वि0-5-75/11-98-500(28)/98

प्रेषक,

हरीश चन्द्र गुप्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक-25 अक्टूबर, 1996
विषय- विलेखों के प्रस्तुतिकरण के दिनांक को ही निबन्धन के पश्चात
पक्षकारों को वापस किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-
क0स0वि0-5-929/11-98 दिनांक 3-4-98, महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा
समस्त जिलाधिकारियों / जिला निबन्धक/ उप/ सहायक महानिरीक्षक
निबन्धन, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित पत्र सं0दिनांक 03-07-1998
तथा शासन के पत्र संख्या क0स0वि0 5-3532/11-500(28) /98 दिनांक 10-
9-98 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनता को राहत देने,
भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा निबन्धन हेतु आने वाली जनता को त्वरित
सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उप निबन्धक कार्यालयों में प्रस्तुत किये जाने वाले
दस्तावेजों को उसी दिन निबन्धन करने के पश्चात सम्बन्धित प्रस्तुत कर्ता
को उसी दिन लौटाये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे तथा प्रत्येक उप निबन्धक
कार्यालय पर इस प्रक्रिया की जानकारी हेतु सूचना पट्ट लगाने के भी निर्देश
दिये गये थे एवं इन आदेशों को अधिक स्पष्ट करते हुए यह भी निर्दिष्ट
किया गया था कि जो व्यक्ति पूर्वाह्न में विलेख प्रस्तुत करेगा, उसका विलेख
उसी दिन वापस कर दिया जाये तथा अपराह्न में प्रस्तुत करने वाले
अभिलेखों को अगले दिन वापस किया जा सकता है।

2- दिनांक 23-10-98 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सब रजिस्ट्रार सीतापुर सदर का निरीक्षण करते समय यह पाया गया है कि प्रस्तुत किये गये विलेखों में से एक भी प्रस्तुतकर्ता को वापस नहीं किया गया तथा उक्त अनियमितता के लिए जनपद की तहसील सदर के सब रजिस्ट्रार को और जिला रजिस्ट्रार को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

3. उपरोक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन सुनिश्चित न करना एवं कराया जाना एक गम्भीर अनियमितता है तथा जिस अनियमितता के लिए इन अधिकारियों को निलम्बित किया गया है प्रदेश के अन्य स्थानों पर मिलने पर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ-साथ विभागीय उच्चाधिकारियों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किये जाने के लिए समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह०/—

हरीशचन्द्र गुप्त

प्रमुख सचिव

पत्र सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त की प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट/ अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त एवं राजस्व पदेन जिला निबन्धक को वर्णित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

ह०/—

डी०सी०डी० भार्गव

विशेष सचिव